

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 3820
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

होटलों की रेटिंग

3820 डा. वी. शिवादासन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में होटलों की रेटिंग के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में पांच सितारा होटलों की संख्या कितनी है, वर्ष 2019 से राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में तीन सितारा और चार सितारा होटलों की संख्या कितनी है, वर्ष 2019 से राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय अपनी वर्गीकरण की स्वैच्छिक योजना के तहत और मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार होटलों का स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत, होटलों को निधि+ पोर्टल (<https://nidhi.tourism.gov.in>) के माध्यम से वन स्टार से थ्री स्टार, मदिरा सहित या मदिरा रहित फोर और फाइव स्टार तथा फाइव स्टार डीलक्स तक की रेटिंग दी जाती है। वर्गीकरण का यह कार्य एचआरएसीसी (होटल और रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति) नामक एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें मंत्रालय, औद्योगिक संघों, होटल प्रबंधन संस्थानों और राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सदस्य शामिल होते हैं।

(ख): पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से वर्गीकृत फाइव स्टार होटलों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से वर्गीकृत थ्री स्टार और फोर स्टार होटलों की राज्य-वार संख्या क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दी गई है।

डा. वी. शिवादासन द्वारा होटलों की रेटिंग के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 3820 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2019 से वर्गीकृत 5 स्टार होटलों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	5
5.	बिहार	5
6.	चंडीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	6
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2
9.	दिल्ली	54
10.	गोवा	70
11.	गुजरात	76
12.	हरियाणा	28
13.	हिमाचल प्रदेश	6
14.	जम्मू और कश्मीर	1
15.	झारखंड	2
16.	कर्नाटक	66
17.	केरल	94
18.	लद्दाख	3
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	24
21.	महाराष्ट्र	86
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	1
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	8
27.	पुडुचेरी (पांडिचेरी)	2
28.	पंजाब	15

29.	राजस्थान	37
30.	सिक्किम	2
31.	तमिलनाडु	43
32.	तेलंगाना	23
33.	त्रिपुरा	2
34.	उत्तर प्रदेश	32
35.	उत्तराखंड	10
36.	पश्चिम बंगाल	32

नोट: चूंकि कुछ होटलों के पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया चल रही है, अतः उक्त आंकड़े अनंतिम हैं।

डा. वी. शिवादासन द्वारा होटलों की रेटिंग के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 3820 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2019 से वर्गीकृत 3 स्टार होटलों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	36
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	18
5.	बिहार	4
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	31
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	5
10.	गोवा	4
11.	गुजरात	120
12.	हरियाणा	11
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू और कश्मीर	0
15.	झारखंड	0
16.	कर्नाटक	11
17.	केरल	607
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	6
21.	महाराष्ट्र	69
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	1
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	11
27.	पुडुचेरी (पांडिचेरी)	0
28.	पंजाब	4

29.	राजस्थान	9
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	7
32.	तेलंगाना	9
33.	त्रिपुरा	0
34.	उत्तर प्रदेश	2
35.	उत्तराखंड	2
36.	पश्चिम बंगाल	36

नोट: चूंकि कुछ होटलों के पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया चल रही है, अतः उक्त आंकड़े अनंतिम हैं।

डा. वी. शिवादासन द्वारा होटलों की रेटिंग के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 3820 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2019 से वर्गीकृत 4 स्टार होटलों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	2
5.	बिहार	1
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	22
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1
9.	दिल्ली	23
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	61
12.	हरियाणा	9
13.	हिमाचल प्रदेश	0
14.	जम्मू और कश्मीर	0
15.	झारखंड	2
16.	कर्नाटक	23
17.	केरल	420
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	2
21.	महाराष्ट्र	36
22.	मणिपुर	1
23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	5
27.	पुडुचेरी (पांडिचेरी)	0
28.	पंजाब	5

29.	राजस्थान	2
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	19
32.	तेलंगाना	11
33.	त्रिपुरा	0
34.	उत्तर प्रदेश	7
35.	उत्तराखंड	2
36.	पश्चिम बंगाल	25

नोट: चूंकि कुछ होटलों के पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया चल रही है, अतः उक्त आंकड़े अनंतिम हैं।
